प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01008/2025-2026

दिनांक 20/11/2025

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/BAL/13005/2025-2026 पत्रावली संख्या:AZ-10238 दिनांक:2005-2006

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **प्रकाश ग्रामोत्थान शिक्षा समिति, ग्राम–हुसेनपुर, पो०–जजौली, तहसील–सिकन्दरपुर, जिला–बलिया उ०प्र०, बलिया , 0** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 256/2005-06 दिनांक-23/07/2005 को दिनांक-22/07/2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1250 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(DEEPAK KUMAR)
3AD6AF32A07CB34525C1E6C8D785B5C35E6E34AA
Date: 20/11/2025 6:02:55 PM, Location: Azamgarh.

जारी करने का दिनांक-20/11/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

58AE 751449

प्रकाश
ग्रामोद्यान शिक्षा समिति
Az.10230
2023-24

सत्य प्रतिलिपि
2023
सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।

प्रकाश ग्रामोत्थान शिक्षा समिति ग्राम हुसेनपुर पो० जजौली तहसील सिकन्दरपुर जिला बलिया उ०प्र० के प्रबन्ध समिति की सूची

वर्ष २०२३-२०२४

क्र०सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१-श्री शैलेश कुमार सिंह	स्व० देवबली सिंह	ग्राम हुसेनपुर, पो० जजौली,बलिया	अध्यक्ष	नौकरी
२-श्री अखिलेश सिंह	श्री अवधेश सिंह	" "	उपाध्यक्ष	कृषि
३-श्री ओमप्रकाश सिंह	स्व० वंशबहादुर सिंह	" "	प्रबन्धक	"
४-श्री रामबहादुर सिंह	स्व० सौदागर सिंह	ग्राम व पो० बरौली, मऊ	उपप्रबन्धक	"
५-श्री रविन्द्र सिंह	श्री रामगोविन्द सिंह	ग्राम व पो० बिहरा, बलिया	कोषाध्यक्ष	"
६-श्री रामायण सिंह	श्री मोरध्वज सिंह	ग्राम हुसेनपुर पो० जजौली, बलिया	सदस्य	"
७-श्री विनय सिंह	श्री योगेन्द्र सिंह	"	"	"
८-श्री विनय सिंह	स्व० जगदीश सिंह	" "	"	"
९-श्रीमती शशिकला	श्री ओमप्रकाश सिंह	" "	"	"
१०-श्रीमती बसंती सिंह	स्व० शिवाकान्त सिंह	ग्राम डूहा पो० बिहरा ,बलिया	"	"
११-मूल्लन राजभर	श्री भोला राजभर	ग्राम हुसेनपुर पो० जजौली, बलिया	"	"
१२-श्री झुझुराम	श्री फूलेश्वर राम	ग्राम हुसेनपुर पो० जजौली, बलिया	"	"
१३-प्रधनाध्यापक/प्रधानाचार्य		विद्यालय	पदेन सदस्य	अध्यापन
१४-सहायक अध्यापक		विद्यालय	पदेन सदस्य	अध्यापन
१५-सहायक अध्यापक		विद्यालय	पदेन सदस्य	अध्यापन
१६-शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य			पदेन सदस्य	अध्यापन

हस्ताक्षर

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

58AE 751450

यह जनरल स्टाम्प पेपर प्रकाश
ग्रामोत्थान शिक्षा समिति
निबन्धन संख्या नि.10230
रेन्यू निपटान

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।

संशोधित नियमावली

1 संस्था का नाम - प्रकाश ग्रामोत्थान शिक्षा समिति

2 संस्था का पता - ग्राम हुसेनपुर, पोस्ट जजौली, तह० सिकन्दरपुर, जनपद-बलिया ।

3 संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4 संस्था का उद्देश्य - स्मृति पत्र के अनुसार

5 संस्था की सदरस्यता तथा सदस्यों का वर्ग

आजीवन सदस्य - जो व्यक्ति संस्था को एक बार मे कम से कम 40000/- या उससे अधिक की चल/अचल सम्पति निःस्वार्थ भाव से दान स्वरूप देगा संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा ।

संरक्षक सदस्य - जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितैषी भाव रखने वाले होंगे तथा संस्था को 12 डीसमील जमीन रजिस्ट्री करेगा वह संस्था का संरक्षक सदस्य माना जायेगा वह आजीवन होगा।

साधारण सदस्य - जो व्यक्ति संस्था हित में सदैव कार्यरत रहेगे तथा संस्था को 100/- रुपये प्रवेश शुल्क जमा कर 300/- वार्षिक चन्दा देते रहेगें संस्था के साधारण सदस्य बने रहेगे ।

6 सदस्यता की समाप्ति -
१. मृत्यु होने पर।
२. पागल अथवा दिवालिया घोषित होने पर ।
३. संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
४. त्यागपत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
५. लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित सूचना दिये अनुपस्थित रहने पर ।
६. किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में दण्डित किये जाने पर।
७. सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पर ।

7 संस्था के अंग-
१. साधारण सभा
२. प्रबन्धकारिणी समिति

शैलेश

8 साधारण सभा

गठन - नियमावली के नियम 5 के सभी सदस्य मिलकर साधारण सभा का गठन करेगें ।

अखिलेश

सत्य-प्रतिलिपि 2023
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

अखिलेश
अविन्द

बैठक - साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगा । आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि - साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को निश्चित सूचना के आधार पर बारह (12) दिन पूर्व दे दी जायेगी ।विशेष बैठक सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होंगा।

कोरम - साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा, कोरम के अभाव में स्थगित बैठक को पुनः उसी एजेन्डे पर विचारण हेतु बुलाया जाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

१. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
२. संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिर्पाट पास करना।
३. उपसमितियों का गठन करना ।
४. संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।
५. संस्था की चल-अचल सम्पति को देखभाल एवं सुरक्षा करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :-

गठन - प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिससे 5 पदाधिकारी एवं ७ सदस्य व तीन पदेन सदस्य तथा शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा कुल संख्या 16 होगी

बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम चार बार अवश्य होगीं विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों/सदस्यों को कम से कम 10 दिन पूर्व दी जायेगी उसे विशेष बैठक की सूचना 1 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।

क्रोरम - प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम कुल सदस्यों/पदाधिकारियों 2/3 बहुमत के आधार पर माना जायेगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेष काल के लिए साधारण सभा में से नियमानुसार की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :-

१. संस्था हित में सभी प्रकार के कार्य करना।
२. संस्था का वार्षिक बजट एंव वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे साधारण सभा से पास करवाना।
३. कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/पदच्युति/वेतनवृद्धि आदि प्रबन्धक के लिखित सस्तुति पर करना।
४. संस्था के लिए सम्पति जुटाना।
५. समिति के भंग होने अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर नये चुनाव तक कार्य करना।

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पॉच(५) साल तक होगा।

10. प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार व कर्तव्य :-

अध्यक्ष
१. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
२. बैठकों को बुलाना तथा उसका अनुमोदन करना।
३. बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम करना।
४. बैठकों की तिथि, समय व स्थान का निर्धारण करना।
५. बैठकों में प्रस्ताव रखना।

उपाध्यक्ष
१. अध्यक्ष की उनुपस्थिति उसके पूर्व निर्देशानुसार उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना।

शैलेश
ओमप्रकाश
अखिलेश
रविन्द्र

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

प्रबन्धक

१. साधारण सभा की 2/3 बहुमत की मॉग का कार्यकारिणी मंग करना। कार्यकाल बढांना तथा 6 माह के अन्दर चुनाव करना।

२. दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अन्तिम रूप देना तथा उसे हस्ताक्षरित एवं क्रियान्वित करना।

३. संस्था के पक्ष में मिलने वाले ऋण, अनुदान दान चन्दा वसीयत, बैनामा आदि प्राप्त करना तथा उसकी रसीद देना।

४. किसी विवाद के निस्तारण में समान मत होने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मद देना।

५. संस्था के समस्त मूल अभिलेखो का अपने पास रख रखाव एवं सुरक्षा करना।

६. संस्था के लिए मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।

७. बैठक की कार्यवाही करना तथा उनको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नोट करवाना।

८. संस्था की ओर से सभी बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

९. कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/पदच्युति/ वेतन वृद्धि आदि करने के लिए प्रबन्ध समिति को लिखित सस्तुति देना।

१०. संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना।

११. संस्था के विरूद्ध अथवा संस्था द्वारा दाखिल समस्त प्रकार के मुकदमों की पैरव्वी संस्था व्यय करना।

१२. संस्था के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाये पर उसको दण्डित करना,संतुष्ट होने पर दोषमुक्त करना।

१३. सदस्यों से चन्दा लेना और उसकी रसीद देना।

१४. सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना।

१५. सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों को अपना अंतिम निर्णय देना।

१६. संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना एवं उसकी रिर्पाट साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

१७. संस्था हित में हर प्रकार के कार्य करना।

शैलेश

सत्य प्रतिलिपि 2023
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।

ओमप्रकाश
अखिलेश
रविन्द्र

उपप्रबन्धक १. प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके पूर्व निर्देशानुसार उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना।

कोषाध्यक्ष १. आय व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना।

२. प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत बिलों का भुगतान करना।

३. प्रबन्धक के निर्देशानुसार उसके सभी अधिकारों एवं संस्था के मद में प्राप्त धन को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

11. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

12. संस्था का कोष

संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैक या पोस्ट आफिस में जमा किया जायेगा । जिसका संचालन प्रबन्धक एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा ।

13. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण -

संस्था के वर्ष भर की आय-व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर उत्तरदायित्व :-

अदालत की कार्यवाही संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध होने वाली मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक द्वारा संस्था व्यय पर की जायेगी जो प्रथम बार जनपद-बलिया न्यायलय में ही देखे जा सकेगें।

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

शैलेश
ओमप्रकाश
अखिलेश
रविन्द्र

15. सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के नियम तथा प्रतिबन्ध–

क–विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
ख–विद्यालय की प्रबंधसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
ग–विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति ,जनजाति के मेधावी छात्रों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
घ–संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय कौंसिल फॉर दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद् से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।
ङ–संस्था के शिक्षण तथा अन्य कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।
च–कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
छ–राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
ज–विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा ।
झ–उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानूमति के कोइ परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

१६.संस्था के अभिलेख : १ कार्यवाही पंजिका
२ भण्डार पंजिका
३ आय-व्यय पंजिका
४ सदस्यता पंजिका
५ कैशबुक आदि।

१७. संस्था के विघटन और सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीय रजि० एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

१८ . अन्य- साधारण सभा में कुल सदस्यों की संख्या 40 से अधिक न होगी।

सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।